



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275444
CG-DL-E-13082026-275444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4300]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4300]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4478(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2372(E) तारीख 8 मई, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में NH-58 (पुर्ननामित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 एवं 34) के कि.मी. 152.00 से कि.मी. 210.62 (मुज़फ्फरनगर-हरिद्वार भाग) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 09 जून, 2026 को "हिन्दुस्तान" एवं "टाईम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में NH-58 (पुर्ननामित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 एवं 34) के कि.मी. 152.00 से कि.मी. 210.62 (मुज़फ्फरनगर-हरिद्वार भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड			जिले का नाम: हरिद्वार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हरिद्वार					
गांव का नाम: ज्वालापुर					
1	1258म	निजी	गैर-कृषि	0.006	हरिद्वार विकास प्राधिकरण 1258M
2	1259म	निजी	गैर-कृषि	0.02	हरिद्वार विकास प्राधिकरण 1259M
3	547म	निजी	कृषि	0.03	दीपक अरोरा पुत्र ओमप्रकाश अरोरा, श्रीमती। नीलम अरोड़ा पत्नी दीपक अरोड़ा, राजेंद्र सिंह पुत्र रतिराम 547M
4	567म	निजी	कृषि	0.04	दीपक अरोड़ा पुत्र ओमप्रकाश अरोड़ा, राजीव सिंह चौहान, दीपक, विकास चौहान पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह, सुरेश सिंह, नरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय बलवीर सिंह, सुमित्रा देवी स्वर्गीय बलवीर सिंह 567M
Total				0.096	

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/03/2007/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4478(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 2372(E) Dated 8th May, 2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-58 (Renamed as NH-334 & 34) in the stretch of land from Km. 152.00 to Km. 210.62 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in "Hindustan" and "Times of India" both dated 9th June, 2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-58 (Renamed as NH-334 & 34) in the stretch of land from Km. 152.00 to Km. 210.62 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

State: UTTARAKHAND			District: HARIDWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Haridwar					
Village: Jwalapur					
1	1258M	Private	Non Agriculture	0.006	Haridwar Development Authority 1258M
2	1259M	Private	Non Agriculture	0.02	Haridwar Development Authority 1259M
3	547M	Private	Agriculture	0.03	Deepak Arora s/o Omprakash arora, Smt. Neelam Arora w/o Deepak Arora, Rajendar Singh s/o Ratiram 547M

4	567M	Private	Agriculture	0.04	Deepak Arora s/o Omprakash Arora, Rajeev Singh Chauhan, Deepak, Vikas Chauhan s/o late Sher Singh, Suresh Singh, Naresh Singh s/o late Balbir Singh, Sumitra Devi late Balbir Singh 567M
Total				0.096	

[F. No. NHAI/BOT/11013/03/2007/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director